संख्या-19/2023/713/004-23-14099-099-74-2022

प्रेषक,

कामता प्रसाद सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
भदोही, मीरजापुर, गोण्डा, बहराइच, प्रयागराज, प्रतापगढ़,
गोरखपुर, देवरिया, बलिया,सुलतानपुर, बाराबंकी,
अयोध्या, अमेठी, अम्बेडकरनगर, गाजीपुर व चंदौली।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ: दिनांक- 25 मार्च, 2023**

विषय- पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत कतिपय जनपदों की 41 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक तालिका में अंकित पत्रों का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें:-

क्र0सं0	मण्डलायुक्त	आयुक्त के पत्र संख्या एवं दिनांक
1	आयुक्त, विंध्यांचल मण्डल, मीरजापुर	संख्या-117/पू0नि0/सं0वि0आ0/2022, दिनांक 05.08.2022, संख्या-163/पू0नि0/सं0वि0आ0/2022, दिनांक 28.11.2023, संख्या-192/पू0नि0/सं0वि0आ0/2022, दिनांक 25.08.2022, संख्या-185/पू0नि0/सं0वि0आ0/2022, दिनांक 18.08.2022, संख्या-214/पू0नि0/सं0वि0आ0/2022, दिनांक 06.09.2022, संख्या-222/पू0नि0/सं0वि0आ0/2022, दिनांक 13.09.2022, संख्या-203/पू0नि0/सं0वि0आ0/2022, दिनांक 05.09.2022, संख्या-265/पू0नि0/सं0वि0आ0/2022, दिनांक 19.10.2022,
2	आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा	संख्या-4527(।)दे0पा0क्षे0/याता0पू0वि0नि0(राज्यांश)/22-23, दिनांक 09.11.2022, संख्या-4864दे0पा0क्षे0/याता0पू0वि0नि0(राज्यांश)/22-23, दिनांक 12.01.2022, संख्या-4905दे0पा0क्षे0/याता0पू0वि0नि0(राज्यांश)/22-23, दिनांक 05.12.2022, संख्या-4059दे0पा0क्षे0/याता0पू0वि0नि0(राज्यांश)/22-23, दिनांक 12.09.2022, संख्या-3669दे0पा0क्षे0/याता0पू0वि0नि0(राज्यांश)/22-23, दिनांक 26.08.2022, संख्या-4289दे0पा0क्षे0/याता0पू0वि0नि0(राज्यांश)/22-23, दिनांक 16.09.2022, संख्या-5830दे0पा0क्षे0/याता0पू0वि0नि0(राज्यांश)/22-23, दिनांक 19.01.2023, संख्या-5483दे0पा0क्षे0/याता0पू0वि0नि0(राज्यांश)/22-23, दिनांक 19.01.2023,
3	आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज	संख्या-207/17पू0वि0नि0(राज्यांश)-प्रयागराज-प्रया0क्षे0/2022-23, दिनांक 11.01.202, संख्या-10476/05पू0वि0नि0(राज्यांश)-प्रयागराज-प्रया0क्षे0/2022-23, दिनांक 03.12.2022, संख्या-6744/01पू0वि0नि0(राज्यांश)-प्रयागराज-प्रया0क्षे0/2022-23, दिनांक 13.09.2022, संख्या-10022/03पू0वि0नि0(राज्यांश)-प्रतापगढ़-प्रया0क्षे0/2022-23, दिनांक 14.12.2022, संख्या-8804/04पू0वि0नि0(राज्यांश)-प्रतापगढ़-प्रया0क्षे0/2022-23, दिनांक 22.11.2022, संख्या-10361/15पू0वि0नि0(राज्यांश)-प्रतापगढ़-प्रया0क्षे0/2022-23, दिनांक 24.12.2022, संख्या-10120/02पू0वि0नि0(राज्यांश)-प्रतापगढ़-प्रया0क्षे0/2022-23, दिनांक 17.12.2022, संख्या-10362/06पू0वि0नि0(राज्यांश)-प्रतापगढ़-प्रया0क्षे0/2022-23, दिनांक 24.12.2022, संख्या-10360/11पू0वि0नि0(राज्यांश)-प्रतापगढ़-प्रया0क्षे0/2022-23, दिनांक 24.12.2022, संख्या-10506/12पू0वि0नि0(राज्यांश)-प्रतापगढ़-प्रया0क्षे0/2022-23, दिनांक 30.12.2022, संख्या-10504/16पू0वि0नि0(राज्यांश)-प्रतापगढ़-प्रया0क्षे0/2022-23, दिनांक 30.12.2022, संख्या-10122/08पू0वि0नि0(राज्यांश)-प्रतापगढ़-प्रया0क्षे0/2022-23, दिनांक 17.12.2022, संख्या-10503/14पू0वि0नि0(राज्यांश)-प्रतापगढ़-प्रया0क्षे0/2022-23, दिनांक 30.12.2022, संख्या-10363/09पू0वि0नि0(राज्यांश)-प्रतापगढ़-प्रया0क्षे0/2022-23, दिनांक 24.12.2022, संख्या-10121/07पू0वि0नि0(राज्यांश)-प्रतापगढ़-प्रया0क्षे0/2022-23, दिनांक 17.12.2022, संख्या-694/20पू0वि0नि0(राज्यांश)-प्रतापगढ़-प्रया0क्षे0/2022-23, दिनांक 31.01.2023, संख्या-318/19पू0वि0नि0(राज्यांश)-प्रतापगढ़-प्रया0क्षे0/2022-23, दिनांक 24.01.2023, संख्या-338/18पू0वि0नि0(राज्यांश)-प्रतापगढ़-प्रया0क्षे0/2022-23, दिनांक 24.01.2023,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		संख्या-693/22पू0वि0नि0(राज्यांश)-प्रतापगढ़-प्रया0क्षे0/2022-23, दिनांक 31.01.2023, संख्या-493/10पू0वि0नि0(राज्यांश)-कौशाम्बी-प्रया0क्षे0/2022-23, दिनांक 24.01.2023,
4	आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर	संख्या-7373/551/पू0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 24.08.2022, संख्या-8080/551/पू0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 14.09.2022, संख्या-8081/551/पू0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 14.09.2022, संख्या-8082/551/पू0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 14.09.2022, संख्या-8083/551/पू0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 14.09.2022, संख्या-7374/551/पू0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 24.08.2022, संख्या-11192/551/पू0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 28.12.2022, संख्या-11191/551/पू0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 28.12.2022, संख्या-9820/551/पू0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 16.11.2022, संख्या-9214/551/पू0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 20.10.2022, संख्या-8835/551/पू0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 06.10.2022, संख्या-8836/551/पू0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 06.10.2022, संख्या-8834/551/पू0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 06.10.2022, संख्या-8066/551/पू0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 14.09.2022, संख्या-7831/551/पू0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 05.09.2022,
5	आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़	संख्या-12/पू0वि0नि0-ब0-3/राज्यांश/2022-23, दिनांक 05.01.2023, संख्या-38/पू0वि0नि0-ब0-3/राज्यांश/2022-23, दिनांक 11.01.2023, संख्या-43/पू0वि0नि0-ब0-3/राज्यांश/2022-23, दिनांक 11.01.2023, संख्या-45/पू0वि0नि0-ब0-3/राज्यांश/2022-23, दिनांक 11.01.2023, संख्या-41/पू0वि0नि0-ब0-3/राज्यांश/2022-23, दिनांक 11.01.2023, संख्या-42/पू0वि0नि0-ब0-3/राज्यांश/2022-23, दिनांक 11.01.2023, संख्या-46/पू0वि0नि0-ब0-3/राज्यांश/2022-23, दिनांक 11.01.2023, संख्या-40/पू0वि0नि0-ब0-3/राज्यांश/2022-23, दिनांक 11.01.2023, संख्या-16/पू0वि0नि0-ब0-3/राज्यांश/2022-23, दिनांक 05.01.2023, संख्या-31/पू0वि0नि0-ब0-3/राज्यांश/2022-23, दिनांक 09.01.2023, संख्या-32/पू0वि0नि0-ब0-3/राज्यांश/2022-23, दिनांक 09.01.2023, संख्या-25/पू0वि0नि0-ब0-3/राज्यांश/2022-23, दिनांक 09.01.2023, संख्या-39/पू0वि0नि0-ब0-3/राज्यांश/2022-23, दिनांक 11.01.2023, संख्या-30/पू0वि0नि0-ब0-3/राज्यांश/2022-23, दिनांक 09.01.2023, संख्या-33/पू0वि0नि0-ब0-3/राज्यांश/2022-23, दिनांक 09.01.2023, संख्या-44/पू0वि0नि0-ब0-3/राज्यांश/2022-23, दिनांक 11.01.2023, संख्या-29/पू0वि0नि0-ब0-3/राज्यांश/2022-23, दिनांक 09.01.2023, संख्या-26/पू0वि0नि0-ब0-3/राज्यांश/2022-23, दिनांक 09.01.2023, संख्या-28/पू0वि0नि0-ब0-3/राज्यांश/2022-23, दिनांक 09.01.2023, संख्या-24/पू0वि0नि0-ब0-3/राज्यांश/2022-23, दिनांक 09.01.2023, संख्या-23/पू0वि0नि0-ब0-3/राज्यांश/2022-23, दिनांक 09.01.2023, संख्या-27/पू0वि0नि0-ब0-3/राज्यांश/2022-23, दिनांक 09.01.2023, संख्या-19/पू0वि0नि0-ब0-3/राज्यांश/2022-23, दिनांक 05.01.2023, संख्या-11/पू0वि0नि0-म0-2/राज्यांश/2022-23, दिनांक 05.01.2023, संख्या-18/पू0वि0नि0-ब0-3/राज्यांश/2022-23, दिनांक 05.01.2023, संख्या-14/पू0वि0नि0-ब0-3/राज्यांश/2022-23, दिनांक 05.01.2023, संख्या-13/पू0वि0नि0-ब0-3/राज्यांश/2022-23, दिनांक 05.01.2023, संख्या-17/पू0वि0नि0-ब0-3/राज्यांश/2022-23, दिनांक 05.01.2023, संख्या-15/पू0वि0नि0-ब0-3/राज्यांश/2022-23, दिनांक 05.01.2023, संख्या-672/पू0वि0नि0-म0-2/राज्यांश/2022-23, दिनांक 16.12.2022, संख्या-649/पू0वि0नि0-ब0-3/राज्यांश/2022-23, दिनांक 05.12.2022, संख्या-650/पू0वि0नि0-ब0-3/राज्यांश/2022-23, दिनांक 05.12.2022, संख्या-637/पू0वि0नि0-ब0-3/राज्यांश/2022-23, दिनांक 30.11.2022, संख्या-600/पू0वि0नि0-ब0-3/राज्यांश/2022-23, दिनांक 14.11.2022, संख्या-568/पू0वि0नि0-ब0-3/राज्यांश/2022-23, दिनांक 31.10.2022, संख्या-489/पू0वि0नि0-ब0-3/राज्यांश/2022-23, दिनांक 13.09.2022, संख्या-490/पू0वि0नि0-ब0-3/राज्यांश/2022-23, दिनांक 13.09.2022, संख्या-546/पू0वि0नि0-ब0-3/राज्यांश/2022-23, दिनांक 12.10.2022,
6	आयुक्त, अयोध्या मण्डल, आयोध्या	संख्या-7729/अ0क्षे0/69/4/याता0पू0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 02.12.2022, संख्या-7073/अ0क्षे0/69/2/याता0पू0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 03.11.2022, संख्या-6295/अ0क्षे0/69/5/याता0पू0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 11.11.2022, संख्या-6910/अ0क्षे0/69/1/याता0पू0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 18.11.2022,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		संख्या-7728/अ0क्षे0/69/4/याता0पू0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 21.11.2022, संख्या-5488/अ0क्षे0/69/2/याता0पू0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 29.10.2022, संख्या-8018/अ0क्षे0/69/1/याता0पू0वि0नि0(राज्यांश)/2022-23, दिनांक 06.12.2022,
7	आयुक्त वाराणसी मण्डल, वाराणसी	संख्या-14448 वा0क्षे0/156 वा0क्षे0/2022, दिनांक 13.01.2023, संख्या-12010 वा0क्षे0/94 वा0क्षे0/2022, दिनांक 10.11.2022, संख्या-13322 वा0क्षे0/156 वा0क्षे0/2022, दिनांक 13.12.2022, संख्या-860 वा0क्षे0/156 वा0क्षे0/2022, दिनांक 04.02.2023, संख्या-642 वा0क्षे0/156 वा0क्षे0/2022, दिनांक 03.02.2023, संख्या-466 वा0क्षे0/156 वा0क्षे0/2022, दिनांक 04.02.2023, संख्या-1611 वा0क्षे0/156 वा0क्षे0/2022, दिनांक 04.02.2023, संख्या-859 वा0क्षे0/156 वा0क्षे0/2022, दिनांक 04.01.2023, संख्या-13781 वा0क्षे0/156 वा0क्षे0/2022, दिनांक 22.12.2022, संख्या-14087 वा0क्षे0/156 वा0क्षे0/2022, दिनांक 31.12.2022, संख्या-248 वा0क्षे0/156 वा0क्षे0/2022, दिनांक 13.01.2023, संख्या-12279 वा0क्षे0/156 वा0क्षे0/2022, दिनांक 21.11.2022, संख्या-12278 वा0क्षे0/156 वा0क्षे0/2022, दिनांक 08.12.2022, संख्या-1202 वा0क्षे0/156 वा0क्षे0/2022, दिनांक 04.02.2023, संख्या-1064 वा0क्षे0/156 वा0क्षे0/2022, दिनांक 04.01.2023, संख्या-972 वा0क्षे0/156 वा0क्षे0/2022, दिनांक 04.02.2023,
8	आयुक्त, बस्ती मण्डल, बस्ती	संख्या-726/08 पू0वि0नि0 (राज्यांश)/2022-23, दिनांक 13.01.2023

उपर्युक्त पत्रों द्वारा शासन को प्रेषित प्रस्तावों के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद-भदोही, मीरजापुर, गोण्डा, बहराइच, प्रयागराज, प्रतापगढ़, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, सुलतानपुर, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, अम्बेडकरनगर, गाजीपुर व चंदौली की कुल 41 परियोजनाओं, जिनका विवरण निम्न तालिका में अंकित है, का निर्माण कराये जाने हेतु सम्यक विचारोपरान्त धनराशि रू0 3979.52 लाख (रूपये उनतालीस करोड़ उन्यासी लाख बावन हजार मात्र) की धनराशि (जिसमें अधिष्ठान व्यय 6.875 प्रतिशत, लेबर सेस 1 प्रतिशत, मूल्यह्रास निधि 1.5 प्रतिशत एवं जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0 1193.89 लाख (रू0 ग्यारह करोड़ तिरानवे लाख नवासी हजार मात्र) की धनराशि पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-83 से अवमुक्त करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

<u>पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-83 अन्तर्गत कार्य का विवरण</u>

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद	कार्यदायी संस्था	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0मी0)	मूल्यांकन पश्चात लागत	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	भदोही	प्रा0ख0 लो0नि0वि0	रोही प्रधानमंत्री मार्ग से निगजपुर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	1.90	134.24	40.27
2	भदोही	प्रा0ख0 लो0नि0वि0	ब्लाक औराई के अन्तर्गत चिन्तामणिपुर पी0एम0जी0एस0वाई0 से प्रा0वि0 होते हुये ब्राम्हण बस्ती, प्रजापति बस्ती से पी0एम0जी0एस0वाई0 तक मार्ग निर्माण।	1.00	53.43	16.03
3	भदोही	प्रा0ख0 लो0नि0वि0	ब्लाक ज्ञानपुर अन्तर्गत विकास भवन कार्यालय से भिदिउरा प्रधानमंत्री सड़क तक मार्ग निर्माण।	1.20	54.13	16.24

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4	मीरजापुर	प्रा0ख0 लो0नि0वि0	सेमरा बन्धवा मॉतम्बर तिवारी के घर से सेमरा हनुमान नगर मार्ग तक नवनिर्माण का कार्य।	1.800	83.53	25.06
5	गोण्डा	नि0ख0- 1 लो0नि0वि0	किशुनदासपुर दौलतपुर मार्ग से खालेपुरवा दुमची सुदामापुरवा लोहराटांड उच्च प्राथमिक विद्यालय चांदपुर गोधरपुरवा पंचुमी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	3.25	210.62	63.19
6	बहराइच	नि0ख0- 1 लो0नि0वि0	पठानपुरवा दक्षिणी सं0 मार्ग से खालेपुरवा, चमारनपुरवा होते हुये सादियाबाद तक सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	1.60	149.32	44.80
7	प्रयागराज	प्रा0ख0 लो0नि0वि0	मेजा कोरांव मार्ग से आर0बी0एस0 विद्यालय होते हुए कमलेश कोल के घर तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	1.10	60.40	18.12
8	प्रयागराज	प्रा0ख0 लो0नि0वि0	तरवई में रामनगर परानीपुर मुख्य मार्ग से रामनगर परानीपुर नहर की पटरी तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	1.30	72.58	21.77
9	प्रयागराज	नि0ख0- 4 (कु0 मे0) लो0नि0वि0	ब्लाक मऊआइमा ग्राम सभा रोजिहात पक्की सड़क हरिगोविन्द पटेल के घर से ग्राम सभा पिलखुआं भारतलाल पटेल के घर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1.00	59.10	17.73
10	प्रयागराज	नि0ख0- 4 (कु0 मे0) लो0नि0वि0	हाईवे से नहर की पटरी होते हुए टिकरी मार्ग तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1.00	61.70	18.51
11	प्रयागराज	प्रा0ख0 लो0नि0वि0	सीकी अतिबल सिंह महाविद्यालय से बहेलिया बस्ती तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	1.50	94.08	28.22
12	प्रतापगढ़	नि0ख0- 1 लो0नि0वि0	अलावलपुर से कुम्भीआइमा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1.20	89.43	26.83
13	गोरखपुर	प्रा0ख0 लो0नि0वि0	कुरी बाजार से पी0 डब्लू0 डी0 मार्ग से उत्तर ग्राम बलुआ भवानी बक्श सिंह मार्ग से महुआरी बाग (मौर्य टोला) एवं डिडवा गांव तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	1.20	116.69	35.01
14	गोरखपुर	प्रा0ख0 लो0नि0वि0	एन0 एच0 से नगवा होते हुए देईपार तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	2.80	232.41	69.72
15	गोरखपुर	प्रा0ख0 लो0नि0वि0	कनईचा मुख्य मार्ग से बरडीहा सिवान सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	1.00	90.90	27.27
16	देवरिया	नि0ख0 लो0नि0वि0	सोहनरिया चौराहे से हरैया व खररिया टोला सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1.00	67.43	20.23
17	देवरिया	नि0ख0	देवरिया पकड़ी मार्ग के ग्राम नगवा के पास पीडब्लूडी	2.10	147.91	44.37

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		लो0नि0वि0	सड़क से ग्राम भरौली पीडब्लूडी सड़क तक मार्ग का निर्माण कार्य।			
18	देवरिया	नि0ख0 लो0नि0वि0	मुसैला भागलपुर मार्ग से नरंगा मार्ग का निर्माण कार्य।	0.85	56.00	16.80
19	देवरिया	नि0ख0 लो0नि0वि0	महुई संग्राम पिच मार्ग से ट्यूबवेल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1.00	63.46	19.04
20	बलिया	प्रा0ख0 लो0नि0वि0	सिरनाथ बाबा महाविद्यालय से इन्दरपुर होते हुए हृदयपुर तक मार्ग के निर्माण का कार्य।	1.60	124.52	37.36
21	बलिया	प्रा0ख0 लो0नि0वि0	नरनी कुरेम रोड से कोटिया होते हुए जुगुल किशोर पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुरेम तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1.00	61.00	18.30
22	सुलतानपुर	प्रा0ख0 लो0नि0वि0	गुसारगंज - ढेसरूआ मार्ग के कि0मी0- 2 से बायें उमरी (उमरी) सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	0.80	53.66	16.10
23	सुलतानपुर	नि0ख0- 3 लो0नि0वि0	बेदूपारा जैतपुर सम्पर्क मार्ग से कोरैवा होते हुए गारापुर तक सम्पर्क मार्ग	1.85	136.42	40.93
24	सुलतानपुर	प्रा0ख0 लो0नि0वि0	चतुर्भुजपुर पी0एम0जी0एस0वाई0 मार्ग से अनुसूचित बस्ती होते हुए सत्यप्रकाश के घर तक सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	1.50	105.21	31.56
25	बाराबंकी	नि0ख0- 1 लो0नि0वि0	ग्राम विद्यानगर में ओमप्रकाश की बाग (पेन्टेड रोड) से रामलखन शर्मा के खेत खण्डजा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	0.80	71.43	21.43
26	बाराबंकी	प्रा0ख0 लो0नि0वि0	विकास खण्ड बनीकोडर में मोहम्मदपुर उपाध्याय से कनवा ताल सम्पर्क मार्ग।	0.90	69.14	20.74
27	बाराबंकी	प्रा0ख0 लो0नि0वि0	पूरे दरियावाँ सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1.10	84.36	25.31
28	बाराबंकी	नि0ख0- 1 लो0नि0वि0	विकास खण्ड मसौली के अन्तर्गत ग्राम अमदहा में स्कूल से मेढ़ियागांव को जोड़ते हुए रोटीगांव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1.25	99.52	29.86
29	बाराबंकी	नि0ख0- 3 लो0नि0वि0	लखनऊ कुर्सी महमूदाबाद मार्ग (एस0 एच0 - 172) के किमी 0 - 25 से बहरौली तक सम्पर्क मार्ग।	0.72	61.23	18.37
30	बाराबंकी	नि0ख0- 3 लो0नि0वि0	एन0 एच0 - 727 किमी0 38 से नारायनपुर तक सम्पर्क मार्ग।	1.10	75.79	22.74
31	अयोध्या	नि0ख0- 4 लो0नि0वि0	डेलवा भारी रोड से 34 ट्यूबेल मिसिंग लिंक का नव निर्माण कार्य।	0.80	68.71	20.61
32	अयोध्या	नि0ख0- 4 लो0नि0वि0	भिटौरा सम्पर्क मार्ग से सहनीगांव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1.15	77.43	23.23

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

33	अयोध्या	प्रा0ख0 लो0नि0वि0	विकास खण्ड मसोधा में मधुपुर प्राइमरी विद्यालय से गौराघाट मार्ग तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	1.20	79.06	23.72
34	अयोध्या	नि0ख0- 4 लो0नि0वि0	कोडरा से बहबरनगर होते हुये नरौली सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	149.68	44.90
35	अमेठी	नि0ख0 लो0नि0वि0	पूरे घूसू (तेन्दुआ) सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	0.90	56.65	17.00
36	अमेठी	नि0ख0 लो0नि0वि0	विकास खण्ड जामों जायस - जगदीशपुर मार्ग से बाबा विल्लेश्वर मन्दिर से होते हुए दखिनपारा बसन्तपुर लिंक मार्ग तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	1.20	77.62	23.29
37	अमेठी	नि0ख0 लो0नि0वि0	नरायन चक से जगतपुर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	0.82	60.05	18.02
38	अमेठी	प्रा0ख0 लो0नि0वि0	बेलखरी सम्पर्क मार्ग से नया पुरवा होते हुये दूरे दयाल ईश्वरपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	1.39	108.55	32.57
39	अम्बेडकरनगर	नि0ख0 लो0नि0वि0	हाजीपुर माइनर से हुसैनपुर डुडवा बाबा के स्थान से होते हुए मधुवाना मुरली दलित के पुरवा को जोड़ते हुए विरेन्द्र शर्मा के घर तक सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य	1.00	67.66	20.30
40	गाजीपुर	नि0ख0- 3 लो0नि0वि0	पतार से बेनीपुर तक सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण का कार्य।	1.50	113.99	34.20
41	चंदौली	नि0ख0 लो0नि0वि0	हड़ौरा से अमॉव तक मार्ग, पुलिया, आबादी भाग में नाली, सी0सी0 / प्रतिरोधक दीवार एवं मार्ग निर्माण का कार्य।	3.00	280.48	84.14
			योग	**55.38**	**3979.52**	**1193.89**

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबंधो:-</u>

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी तथा विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय।

(3) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत कार्य जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

(6) विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011, दिनांक 25-01-2011 के अनुसार विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(8) विभाग द्वारा मूल्यह्रास आरक्षित निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा की जायेगी।

(9) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(10) यदि प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है, तो भूमि का क्रय विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी, प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(12) पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) नियमानुसार यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुये मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा।

(15) परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में कार्यदायी संस्था फार्म-42 आई पर उपभोग प्रमाण-पत्र अपने मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध करायेगी जो स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक/विशिष्टियों के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक पाये जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र अपने प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त शासन को प्रेषित करेगें तथा उसकी प्रति मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेंगे। परियोजनाओं के पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(16) मण्डलायुक्त/मुख्य विकास अधिकारी परियोजना के निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं तदुपरांत सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव की भी समुचित व्यवस्था कर लेंगें, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम (राज्य सरकार अथवा अन्य किसी श्रोत द्वारा) के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किये गये हैं।

(17) विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(18) यह धनराशि केवल उक्त परियोजनाओं पर ही मानक/विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(19) वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/ 2022/ बी-1-454/ दस-2022-231/ 2022 दिनांक 07.06.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी का होगा।

(20) उपर्युक्त परियोजनाओं के समयबद्व एवं गुणात्मक क्रियान्वयन के लिए सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगे एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय बनाये रखेंगे।

(21) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय/उपयोग हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 11,93,89,000 (रुपये ग्यारह करोड़ तिरानवे लाख नवासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 4575027890300 पूर्वांचल की विशेष योजनायें **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-8-730-X-2022-23-दिनांक:18-3-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
कामता प्रसाद सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-19/2023/713(1)/004-23-14099-099-74-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, प्रयागराज ।
3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
4- सम्बन्धित जिलाधिकारी/ सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता , लोक निर्माण विभाग।
10- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, प्रयागराज ।
11- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/नियोजन विभाग/लोक निर्माण अनुभाग-10
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।